

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर व्यस्त समपारों के बदले लागत की भागीदारी के आधार पर ऊपरी / निचले सड़क पुलों का निर्माण किया जा रहा है:—

1. मोतिहारी-समपार सं० 163 ए के बदले।
2. आदित्यपुर-कि०मी० 253/21-23 पर।
3. तुपकाडीह-तलगाड़िया खंड पर कि०मी० 14.0 पर चास-इस्पतनगर।
4. चक्रधरपुर-कि०मी० 312/23-25।
5. यारपुर-कि०मी० 544/16-17 पर सम पार के बदले।
6. आरा-कि०मी० 593/9-10 पर सम पार के बदले।
7. पारसनाथ-कि०मी० 317 पर समपार सं० 14 के बदले।

निम्नलिखित स्थानों पर निक्षेप शतों पर ऊपरी सड़क पुलों का भी निर्माण किया जा रहा है:-

1. हाजीपुर
2. कि०मी० 346 पर कजुडीह-गोमो खंड
3. कि०मी० 384 / 219 पर कतरास में।
4. कि०मी० 285 / 900 पर डोकरा में।
5. कि०मी० 8.857 पर सिन्दरी में।
6. तेलुलमारी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Abolition of AC first class in all the trains

3506. SHRI S.K.T. RAMA-CHANDRAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether Government propose to abolish AC First class in all the trains and in all the routes in Indian Railways forthwith?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): No, Sir.

Construction of broad gauge line between Dindigul and Madras via Trichy

3507. SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what progress has been made in construction of broad gauge line between Dindigul and Madras via Trichy, Chengelpat; and

(b) whether any time frame has been fixed for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) 40% on Madras-Tambram section.

(b) The tentative programme, subject to availability of resources, is as under:

Madras-Mount —	1992-93
St. Thomas	
Mount St. —	1993-94
Thomas-Tambram	
Tambram-Trichy —	1994-95
Trichy-Dindigul —	1995-96

नर्मदा एक्सप्रेस के विलंब से चलने के संबंध में रेलवे बोर्ड के विरुद्ध न्यायालय में दायर मुकदमा

3508. श्री शिव प्रसाद चनपुरिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नर्मदा एक्सप्रेस 8233 और 8234 अप के निरंतर विलंब से चलने के कारण रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय के विरुद्ध न्यायालय में कोई मुकदमा दायर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और किस न्यायालय में; और

(ग) दायर किए गए मुकदमे में उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):
(क) जी हां।

(ख) और (ग) अक्टूबर '92 में 11 / सिविल (व्यवहारिक) न्यायाधीश श्री-1, बिलासपुर की याचिका में उठाए गए मुद्दों के संबंध में रेलवे बोर्ड के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है।